FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

महेश सैनी वगै0 **बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वगै0**

किस्म मुकदमा–धरा 3 जी(5) रा0रा0अधिनियम नम्बर–137/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.5.2023	राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त विषयक उनवानी प्रकरण से संबंधित एक अन्य प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2023 को निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसके तथ्य एवं विषयवस्तु एक समान है एवं एक ही भूमि से संबंधित है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। हमने प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली सं0 53/2020 उनवानी महेश सैनी बनाम सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.1.2023 तलब की जाकर अवलोकन किया गया। दोनों पत्रावलियों में समान तथ्य एवं विषयवस्तु है तथा दोनों प्रार्थना पत्रों में एक ही प्रकार का अनुतोष चाहा गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को छिपाकर दूसरा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो निंदनीय है। चूंकि इसी भूमि से संबंधित प्रकरण का पूर्व में निस्तारण किया जा चुका है। अब यह प्रार्थना पत्र चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। हम प्रार्थना पत्र खारिज योग्य समझते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख्वा भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:53:03 IST
Reason: SelfAttested